

- 10 अयमकर प्रभाशकर पश्या
 11 प्रबुबकर अहमद, और
 12 अश्विन मोहनलाल गाधी

इनमें से प्रथम नौ व्यक्ति बार्ड के तिष्ठित व्यापारी हैं।

(घ) दो मोटर कारें पकड़ी गई हैं। सीमाशुल्क अधिनियम में मकानों और टेलीफोनो के अभियन्त की व्यवस्था नहीं है।

(ङ) माल तथा मोने के तस्कर व्यापार को ठिके के लिये की गई मुख्य-मुख्य कार्य-बाहियों के बारे में एक विवरण-पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

बाँटने मान जाने ले जाने को ठिके के निरत्रा महत्वपूर्ण उपाय अपनाय गये हैं वे ये हैं सूचना का बाकायदा संग्रह तथा उसका अनुशीलन, मदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों को ठिके में खाना-तलाशी, समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के उन भागों की गणना, जहाँ में चोरी छिपे माल लाया ले जाया जा सकता है, और उचित मामलों में विभागीय न्याय-निर्णय के अनिश्चित मुद्दों में चर्चाना। विधान के क्षेत्र में सीमा शुल्क अधिनियम में अब अदालतों द्वारा कैद की ज्यादा भारी सजा की व्यवस्था है। माना, हीरे तथा घड़ी या पकड़े जाने के मामले में सामान्य शुल्क अधिनियम में यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि माल तस्करों को वे नहीं लाया गया हान का प्रमाण देने की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों पर डाली गयी है जिनके पास में माल पकड़ा गया हो। जो महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किये गये हैं उनमें से दो मुख्य उपाय ये हैं: (i) फारस की खाड़ी के क्षेत्र में प्रचलित भारतीय क्रैन्सी नोटों के स्थान पर 1959 में एक विशेष मुद्रा का प्रचलन करना, क्योंकि पुराने नोट अर्बुद तोने के लेन-देनों के लिये इत्यादि जुटाने का सामान साक्ष्य बने हुए थे, तथा (ii) स्वयं नियंत्रण का लागू किया जाना।

Extension of time to contractors

4089. Shri Lobe Prabhu: Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is the general practice to grant extensions of time for the completion of contracts;

(b) if so, whether it increases the cost of the contract; and

(c) whether the extensions are due to miscalculations of time or for any other reasons?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh; (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Drinking water supply scheme in Bangalore city

4090. Shri K. Lakkappa: Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state:

(a) whether there is any scheme envisaged by Government of India to provide grant or loan to Bangalore City Corporation in Mysore State to improve drinking water facilities in Bangalore City;

(b) if so, the nature of the help envisaged by Government of India; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) (a) Yes

(b) The Scheme is eligible for 100 per cent loan from the Government of India which is the pattern of Central assistance for the Water Supply Schemes under the Urban Phase of the National Water Supply and Sanitation Programme.

(c) Does not arise.